आदेश की क्रम स और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

8.05.15

16.05.15

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 10/12–13

दिनेश सिंह वनाम मधेश सिंह

आदेश

आवेदक दिनेश सिंह, पिता स्व० रोहन सिंह,साकिन–मजीदपुर,थाना–किजर,जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर खाता न० 33 प्लॉट न० 65 पर आवेदक के वेदखली पर रोक लगाने एव खाता न० 53 प्लॉट नं० 217,218 के दालान से विपक्षी के दखल कब्जा को हटाकर आवेदक के दखल कब्जा स्थापित करने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा–मजीदपुर,थाना–किजर, जिला–अरवल मे अवस्थित है, निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
33	65	2.46 एकड	उत्तर–बृजनंदन सिंह,दक्षिण–लखन सिंह वगैरह, पूरब–रामसेवक सिह वगैरह, पश्चिम–पईन
53	217,218	4 डी०	उत्तर–मधेश सिंह,दक्षिण–गली,पूरब–त्रिवेणी सिंह, पश्चिम–गली।

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए। वाल भगवान कुमार पिता मधेश सिंह ने वाद मे हस्तक्षेपक बनने हेतु आवेदन दिया था जिसे उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त दिनाक 09.10.2012 को अस्वीकृत कर दिया गया था। उक्त पारित आदेश दिनाक 09.10.2012 के खिलाफ वाल भगवान कुमार उच्च न्यायालय, पटना में चले गये जिसके आलोक में वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय पटना मे वाल भगवान कुमार द्वारा दाखिल वाद संख्या C. W. J. C. सख्या 5565/13 खारिज होने के उपरान्त दिनांक 29.01.2015 को आवेदक के वाद को पुनः संचालन हेतु अनुरोध किया गया जिसे स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई। विपक्षी मधेश सिंह हस्तक्षेपक आवेदन दाखिल होने के उपरान्त से न्यायालय से अनुपस्थित रहे है। वाल भगवान कुमार को न्यायालय से सूचना भेजा गया कि अगर उनके द्वारा C.W.J.C. संख्या 5565/13 मे पारित आदेश के खिलाफ कहीं अपीलवाद दायर किया गया है या नही न्यायालय को सूचित करें। परन्तु उनके द्वारा न्यायालय को कोई सूचना नही दी गई और ना ही उपस्थित हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि उन्हे खानगी

ड्योढबंदी से पंचों की उपस्थिति मे वर्ष 1990 में बॉटकर प्राप्त हुआ है। बॅटवारा के संदर्भ में बतौर याददास्त तहरीर सिडयूल बना जिसमें सिडयूल नं० 01 मधेश सिंह को सिडयूल नं० 2 दिनेश सिंह को मिला। अपने–अपने सिडयूल वाली जमीन पर दोनो फरिक काबिज दाखिल हुए और अपना–अपना डिमाण्ड खोलवाकर सरकार को राजस्व का भुगतान कर रहे है। जहाँ तक विपक्षी का दावा कि प्रश्नगत् भूमि उन्हें वसीयतनामा से प्राप्त है तो इस संबंध में कहना है कि प्रोवेट वाद संख्या 14/2008 मे जिला एव सत्र न्यायाधीश ने वाद को खारिज कर दिया है। अतः माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी आपति की है कि स्वर्गीय रोहन सिंह के तीन पुत्र हुए क्रमश मधेश सिंह, गणेश सिंह वो दिनेश सिंह। स्वर्गीय गणेश सिंह की एकमात्र विधवा पत्नी स्व० ललीता देवी हुई जिन्होंने 16.01.1999 को अपने तमामी हिस्से को बाल भगवान एव कृष्णा कुमार दोंनों पेसर मधेश सिंह को वसीयत कर दी। उक्त वसीयत का प्रोवेट हेतु जिला जज जहानाबाद के न्यायालय मे वाद संख्या 14/08 लंबित है।

चूँकि प्रोवेट वाद संख्या 14/08 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद द्वारा खारिज किया जा चुका है, विपक्षी को उपरोक्त दावा स्वतः समाप्त हो जाता है। विवादित भूमि आपसी खानगी बॅटवारा में आवेदक के हिस्सा में प्राप्त हुआ है जिसका डिमाण्ड भी आवेदक के नाम चल रहा है और दखल कब्जा भी पूर्व से है।

अतः प्राधिकार आवेदक के अनुतोष को स्वीकृत करती है। विपक्षी को आवेदक के विवादित भूमि से बेदखल करने से मना किया जाता है। विपक्षी यदि न्यायालय को आदेश का पालन नहीं करते है तो अंचल अधिकारी, करपी को आदेश दिया जाता है कि वे विधि पूर्वक कारवाई करेगें। साथ ही विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे एक माह के अंदर खाता 53 प्लॉट 217 एवं 218 रकवा 4 डी० के दालान से अपना कब्जा हटाकर आवेदक को कब्जा सौपे। अंचल अधिकारी करपी को यह भी आदेश दिया जाता है कि विपक्षी यदि खाता 53 प्लॉट 217 एवं 218 रकवा 4 डी० से अपना कब्जा नही हटाते है तो वे एक माह के उपरान्त विपक्षी का कब्जा हटाकर आवेदक को कब्जा सौपें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

16.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

16.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।